देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 17 अंक: 54 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

पेज थ्री

देहरादून, शनिवार, 28 मई 2022

विचार-प्रवाह...
'राजनीति' करता है विपक्ष

मौसम | अधिकतम 34.0° न्यूनतम 24.0° | 37240.40 | 2 इमरान खान ने शहबाज को लताड़ा | 7 सफल कोच की लिस्ट में भी शुमार

2030 तक भारत बनेगा ड्रोन हब

दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम मोदी ने किया ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। दिल्ली के प्रगति मैदान में दो दिवसीय ड्रोन महोत्सव 2022 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ड्रोन प्रदर्शनी से प्रभावित हूं। 2030 तक भारत ड्रोन हब बनेगा। उन्होंने कहा, जिन-जिन स्टॉल में मैं आज गया, वहां सभी लोग बहुत गर्व से कहते थे कि ये मेक इन इंडिया हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उत्सव सिर्फ ड्रोन का नहीं, यह नए भारत-नई गवर्नेंस का उत्सव है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है, वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। पीएम ने कहा, यह ऊर्जा भारत में रोजगार सृजन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। उन्होंने कहा, आठ वर्ष पहले यही वो समय था, जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की शुरुआत की थी।

टेक्नोलॉजी को समझा समस्या का हिस्सा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने टेक्नोलॉजी को समस्या का हिस्सा समझा। उसे गरीब विरोधी साबित करने की कोशिश की गई। इस कारण 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नॉलॉजी के उपयोग को लेकर उदासीनता का वातावरण रहा। इसका सबसे अधिक नुकसान गरीब को हुआ, वंचित को हुआ और मिडिल क्लास को हुआ। तकनीकी के माध्यम से हम आगे बढ़कर अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ था, तो हर बार मेरे लिए वहां जाना संभव नहीं था। तो मैं ड्रोन के जरिए केदारनाथ के काम का निरीक्षण करता था। आज सरकारी कामों की गुणवत्ता को देखना है तो यह जरूरी नहीं है कि मैं बता दूं कि मुझे वहां निरीक्षण करने के लिए जाना है। मैं ड्रोन भेज दूं तो वह जानकारी लेकर आ जाता है और उन्हें पता भी नहीं चल पाता है कि मैंने जानकारी ले ली है।

घरेलू उद्योगों की मदद कर रही सरकार: कुछ समय पहले तक ड्रोन के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर भारत तेजी से इस मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही फरवरी में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध का भी एलान कर दिया गया। अब केवल आरएंडडी, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए ही ड्रोन आयात की अनुमति है। इनके लिए भी क्लियरेंस जरूरी होगा। आयात पर प्रतिबंध के कदम से घरेलू ड्रोन निर्माताओं को लाभ होगा। ड्रोन के पुर्जो के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

मोदी ने प्रगति मीटिंग का खोला राज

पीएम ने हर महीने होने वाली प्रगति मीटिंग की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रगति मीटिंग में क्या होता है और वो कैसे हर राज्य में चालू विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं। मोदी ने कहा, श्मैं सरकार में हर महीने एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं। सभी राज्यों के मुख्य सचिव स्क्रीन पर होते हैं। अनेक विषयों की चर्चा होती है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मुझे ड्रोन से वहां का लाइव प्रजेंटेशन दीजिए। तो मैं बड़ी आसानी से चीजों को कोरिलेट कर पाता हूं। इससे फैसले करने की सुविधा बढ़ जाती है।

जब पीएम ने सुनाई केदारनाथ की दिलचस्प कहानी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ तो मेरे लिए हर बार वहां जाना संभव नहीं था। ऐसे में मैं ऑफिस से ही लगातार रिव्यू मीटिंग करता था। उसी में केदारनाथ में कैसे काम चल रहा है, कितनी तेजी से चल रहा हैं, मैं वहां से ड्रोन के द्वारा लगातार मॉनिटर करता था। पीएम ने कहा कि आज सरकारी कामों की क्वॉलिटी को भी देखना है और मैं बता दूं कि इन्सपेक्शन के लिए जाना है तो मेरे पहुंचने से पहले वहां सबकुछ ठीक-ठाक हो ही जाएगा। लेकिन अब उन्हें पता भी नहीं चलता है और ड्रोन के जरिए मैं सब देख लेता हूं। उन्होंने कहा, जरूरी नहीं है कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां निरीक्षण के लिए जाना है।

संक्षिप्त समाचार

ओम प्रकाश चौटाला को मिली सजा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को चार साल की जेल और 50 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि चौटाला ने अपनी बीमारी व मामले के पुराना होने के नाते सहानुभूति बरतने का आग्रह किया था। वहीं सीबीआई ने कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ऐसी सजा सुनाए जिससे समाज में मिसाल दी जा सके।

देश के अन्य हिस्सों में मौसम में बदलाव हो गया शुरू

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली हुई है। मौसम कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार छह दिनों के अंतराल के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून ने गुरुवार को दक्षिणी श्रीलंका को कवर करते हुए केरल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है।

उत्तराखंड में यूनिफार्म सिविल कोड पर ड्राफ्ट कमेटी गठित

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई होंगी इसकी अध्यक्ष

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी की घोषणा की है। कमेटी की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई होंगी।

पहली बैठक में पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने लिया संकल्प

पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड) लागू करने का संकल्प लिया था। 24 मार्च को हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मुख्यमंत्री की चुनाव पूर्व की गई इस घोषणा को मूर्त रूप देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि संविधान में मिले अधिकार का उपयोग करते हुए सरकार यह कदम उठा रही है।

आखिर क्या है समान नागरिक संहिता: समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड) का अर्थ होता है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक कानून लागू होगा। यह एक पंथ निरपेक्ष कानून है, जो सभी के लिए समान रूप से लागू होता है।

ड्राफ्टिंग कमेटी के ये है अन्य सदस्य

चार अन्य सदस्यों में दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह के अलावा टैक्स पेयर एसोसिएशन के मनु गौर और शिक्षाविद सुरेखा डंगवाल के नाम भी शामिल हैं। कमेटी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी।

इस कानून पर निरंतर चल रही है बहस

देश में अभी मुस्लिम, इसाई और पारसी का पर्सनल ला लागू है। हिंदू सिविल ला के तहत हिंदू, सिख और जैन आते हैं, जबकि संविधान में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है। यह आज तक देश में लागू नहीं हुआ है। इस कानून पर निरंतर बहस चल रही है।

सेना से भरा ट्रक श्योक नदी में गिरा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

हादसा

■सात जवानों की जान गई, 19 घायल

जम्मू। लद्दाख के तुरतुक सेक्टर में हुए एक बड़े हादसे में सेना के सात जवान बलिदान हो गए, जबकि 19 घायल हो गए हैं। सभी को सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से कई जवानों की हालत गंभीर है। यह हादसा उस समय पेश आया जब जवानों से भरा ट्रक श्योक नदी में गिर गया। जवानों की एक टुकड़ी ट्रक में सवार होकर परतापुर के ट्रांजिट कैंप से हनीफ सेक्टर के अग्रिम इलाके की ओर जा रही थी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह करीब नौ बजे 26 जवानों का एक दल ट्रक में सवार होकर परतापुर स्थित ट्रांजित कैंप से आगे जा रहे थे। हनीफ सेक्टर की ओर जा रहा ट्रक जब थोइस से करीब 25 किलोमीटर दूर पहुंचा तो अचानक ट्रक चालक से असंतुलित होकर सड़क से करीब 50 से 60 नीचे श्योक नदी में फिसल कर गिर गया। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई आसपास के लोगों और पुलिस व सेना के जवानों ने मिलकर रेस्क्यू आपरेशन चलाया। नदी में गिरे सभी जवानों को निकाला गया।

इनमें से सात जवानों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बाकी 19 घायलों में कई की हालत गंभीर है। सभी को पहले परतापुर के 403 फील्ड अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद इनमें से कुछ को बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट किए जाने की भी खबर मिल रही है। मृतक जवान और घायलों के नाम और पते की जानकारी अभी नहीं मिली है। हादसे के बारे में विस्तृत जानकारी अभी प्रतीक्षारत है।

फिर मुश्किलों में आए समीर वानखेड़े

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

केंद्र ने गलत जांच के लिए कार्रवाई का दिया निर्देश

मुंबई। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने ड्रग्स-आन- क्रूज मामले पर क्लीन चिट दे दी है। इस बीच, सूत्रों के हवाले से बताया कि केंद्र सरकार ने सक्षम प्राधिकारी से एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ ड्रग्स-आन-क्रूज मामले पर गलत जांच के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आर्यन खान को अक्टूबर 2021 के ड्रग्स-आन-क्रूज मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद समीर वानखेड़े का मामला एक बार फिर सामने आया है।

मामले के संबंध में ड्रग रोधी एजेंसी द्वारा दायर आरोपपत्र में आर्यन खान और पांच अन्य के नाम हटा दिए गए थे। मुंबई की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल करने वाले एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि आर्यन खान और पांच अन्य का नाम पर्याप्त सबूतों की कमी के कारण नहीं रखा गया था। बता दें कि 5 नवंबर, 2021 को एनसीबी ने मामले से मुंबई जोनल यूनिट समीर वानखेड़े को हटा दिया गया था।